म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,अरेरा हिल्स,किसान भवन,भोपाल

क्रं./बी–7/2/ /२५५ भोपाल,दिनांक 27/ 7/2019

प्रति.

कार्यापालन यंत्री
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग.........................(समस्त)

विषयः– समस्त कृषि मंडी, उपमंडी एवं अन्य भवनों में अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट करवा कर विद्युत बिल में कमी एवं ऊर्चा संरक्षण उपाय करने हेतु।

::::00::::

राज्य शासन एवं मंडी बोर्ड की मंशा है कि समस्त कृषि मंडी वर्तमान में उपयोग की जा रही ऊर्जा के व्यय में प्रभावी कमी किये जाने हेतु ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ठोस और प्रभावी कार्यवाही की जाये।

हाल ही में विद्युत आपूर्ति की दरों में हुई वृद्धि के कारण कृषि मंडी व भवनों में खपत की जा रही ऊर्जा देयकों में लगभग 10 से 15 % (प्रतिशत) की वृद्धि संभावित है प्रतिवर्ष विद्युत दर में वृद्धि के कारण कृषि मंडियो के विद्युत देयकों में लगातार वृद्धि हो रही है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में सभी कृषि मंडियों को अपने स्तर पर समग्र रूप से विद्युत व्यय एवं देयकों नियमित कमी लाने हेतु साल में एक बार ऊर्जा ऑडिट कराना चाहिये। ऑडिट रिर्पोट में सुझाये गये उपायों से मंडी अपने विद्युत व्यय में 15 से 20 प्रतिशत की कमी संभावित है। बाजार में सोलर टेक्नॉलोजी वाले स्विच उपलब्ध है जिन्हें मंडी प्रांगण में स्थित लाइट के ऑटेमेशन के लिये उपयोग किया जा सकता है इसी प्रकार वॉटर पंप ऑटेमेशन भी किया जा सकता है।

इस उद्देश्य से म.प्र.शासन द्वारा भी समय–समय पर ऊर्जा संरक्षण व अक्षय ऊर्जा के हेतु बार–बार निर्देशित किया गया है। म.प्र.शासन के पत्र क्रं. 633/2010/60 दिनांक 02.12.2010 द्वारा म.प्र. ऊर्जा विकास निगम को इस कार्य हेतू नोडल ऐजेंसी बनाया गया है। उपरोक्त पत्र में ऊर्जा ऑडिट हेतु फीस भी निर्धारित की गई है पत्र के बिन्दु क्रं. 4.3 के अनुसार 25.00 लाख से अधिक वार्षिक देयक वाले उपभोक्ताओं के लिये ऊर्जा अंक्षेकण (एनर्जी ऑडिट) शुल्क 1.% (प्रतिशत) व 25.00 लाख से कम वार्षिक ऊर्जा देयक के लिये एक मुश्त 25 हजार रू. रखा गया है जी.एस.टी. अतिरिक्त।

अतः ऊर्जा विकास निगम में रजिस्टर्ड एनर्जी ऑडिटर से एनर्जी ऑडिट कराना उचित होगा। मंडी निधि की उपलब्धता अनुसार/बजट प्रावधान की स्थिति को देखते हुये शीघ्र कार्यवाही की जावें।

(बी.पी.गोयल)
अधीक्षण यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल,

क्रं./बी–7/2/ /२५५ भोपाल,दिनांक 27/ 7/2019

प्रतिलिपिः–

सचिव कृषि उपज मंडी समिति................................जिला.................... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी.पी.गोयल)
अधीक्षण यंत्री .
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल,